UPLK010224362023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

<u>एफ0आर0 सं0–2134 / 2023</u>

ज्योति बनाम मीना आदि

मु0अ0सं0–265 / 2023
धारा–323,504,506,308,452 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3(1)द, ध एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–पी0जी0आई0, जिला लखनऊ।

<u>11.06.2025</u>

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी की ओर से दिनांक 10.01.2025 को प्रस्तुत अंतिम आख्या पर प्रोटेस्ट दाखिल किया गया था, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि विवेचक ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की सही व स्वतंत्र जांच नहीं की और वादिनी को ऐसा लगता है कि विवेचक ने अनुचित लाभ लेकर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के बताए उन लोगों को आरोप मुक्त करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अंतिम आख्या दाखिल की गयी है। अभियुक्त सुजीत कुमार वर्मा व मीना के बयान से स्पष्ट होता है कि वादिनी के दहेज का सामान व अन्यसामान दोनों अभियुक्तों की मिलीभगत से लूट लिया गया है, परंतु पुलिस द्वारा उक्त सामानों को बरामद करने की कोई कोशिश नहीं किया। विवेचक द्वारा वादिनी एवं साक्षियों के बयानों को नजरअंदाज करते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। अतः उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना कराये जाने का अदशे पारित करने की कृपा करें।

विवेचक द्वारा अंतिम आख्या इस आशय से प्रेषित की गयी है कि अब तक की तमामी विवेचना में नामित अभियुक्तगण को विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया गया।

विवेचक द्वारा संग्रहित साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि केस डायरी के पर्चा नं0 3 में विवेचक द्वार बैनामा के गवाह संजय एवं अनुराग द्वारा अपने–अपने बयानों में स्पष्ट कथन किया है कि बैनामे के बाद मकान खाली करके चाभी सौंपी गयी थी। घटना के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। वादिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में किसी नवीन तथ्य को समाहित नहीं किया गया है।

वर्णित परिस्थितियों में अ0सं0 265 / 2023 धारा–323, 504, 506, 308, 452 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट थाना–पी0जी0आई0, जिला लखनऊ में प्रस्तुत अंतिम आख्या दिनांकित 03.08.2023 स्वीकार किये जाने योग्य है और उस पर आधारित एफ0आर0 वाद 2134 / 2023 निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिनी की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार अंतिम आख्या दिनांकित 03.08.2023 स्वीकार की जाती है एवं उस पर आधारित एफ0आर0 वाद संख्या 2134 / 2023 मु0अ0सं0 265 / 2023 धारा–323, 504, 506, 308, 452 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट थाना–पी0जी0आई0, जिला लखनऊ तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

दिनांकः 11–06–2025

शैलेन्द्र, स्टेनो